संख्या-127/ XXVII(3)/2004

प्रेषक,

एल0एम0पंत,

अपर सचिव,वित्त।

उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

वित्त अधिकारी,

उत्तरांचल सचिवालय,

देहरादून।

वित्त अनुभाग—3 देहरादून:दिनांक 17 जून,2004

विषय—आर0इ0सी0 के अन्तर्गत ग्रामीण विघुतीकरण योजनाओं हेतु आर0इ0सी0से ऋण की धनराशि पर देय व्याज वापस किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव,उर्जा,उत्तरांचल शासन को सम्बोधित भारत सरकार के उपकम आर.ई.सी. लि0 के पत्र संख्या : आर0इ0सी0/एफ0आई0एम0/लोन/2004—05/663 दिनांक 4.6.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0पी0सी0एल0 को ग्रामीण विघुतीकरण की कतिपय योजनाओं के लिए आर0इ0सी0 द्वारा दिनांक 19.3.2004 एंव 31.3.2004 को अवमुक्त किए गए ऋण पर दिनांक 19.6.2004 तक 3 प्रतिशत की व्याज दर से देय कुल रू0 5,52,881 (रू0 पांच लाख बावन हजार आठ सौ इक्यासी मात्र) की धनरराशि के व्याज को आर0ई0सी0 को भुगतान के लिए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2,स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के विपरीत रू0 5,52,881. (रू0 पांच लाख बावन हजार आठ सौ इक्यासी मात्र)की धनराशि को कोषागार से आहरित करके आज ही रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन लिमिटेड,नई दिल्ली के नाम से बैंक ड्राफट कोरियर के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करके शासन को इसकी सूचना दे दी जायेगी। आर0ई0सी0से उक्त भुगतान की पावती प्राप्त कर ली जायेगी।

3.इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या—7 के लेखा शीर्षक—2049—व्याज अदायगियां,01 —आन्तरिक ऋणों पर व्याज—आयोजनेत्तर —200—अन्य आन्तरिक ऋणों पर व्याज 07—नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर व्याज—00 — 32—लाभांश की मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:यथोपरि

भवदीय

(एल0एम0पंत)

अपर सचिव

संख्या—1271 **XXVII(3)/2004**/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) महालेखाकार,उत्तरांचं,ओबराय मोटर्स माजरा,देहरादून।

(2) बरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून

(3) प्रमुख सचिव,उर्जा ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल,उत्तरांचल देहरादून।

(5) उर्जा अनुभाग।

(6) निदेशक,एन0आई0सी0उत्तरांचल देहरादून।

भवदीय

17/6/2004

(एल0एम0पंत)

अपर सचिव।